[1][प्ररूप सं. 3कङ

[नियम 6कख देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा *35घ(4)/धारा 35ङ(6) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

*मैंने/हमने मैसर्ज .... के तारीख .... को यथा विद्यमान तुलन-पत्र (पत्रों) और *उस तारीख/(उन तारीखों) को समाप्त हुए वर्ष (वर्षों) के लाभ और हानि लेखा (लेखाओं) की जांच की है, जो .... में स्थित मुख्यालय* और .... में स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है ।

*मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे । *मेरी/हमारी राय में, जहां तक लेखा-बहियों की *मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते, ऊपर नामित निर्धारिती के *मेरे/हमारे द्वारा दौरा किए गए मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं और *मेरे/हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित लेखा-बहियां प्रापत की गई है—

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और ठीक जानकारी दी गई है—

(i) तुलन-पत्र (पत्रों) की दशा में तारीख .... को ऊपर नामित निर्धारिती के कार्यकलाप की स्थिति को, और

---

1. आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **1.4.2024** से प्रतिस्थापित।

(ii) लाभ और हानि लेखा (लेखाओं) की दशा में तारीख .... को समाप्त होने वाले उसके लेखा वर्ष (वर्षों) के लिए ऊपर नामित निर्धारिती के लाभ या हानि को ।

धारा *35घ/धारा 35ङ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण संलग्न है और *मेरी/हमारी राय में **और** *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमे दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कार्यकलाप की स्थिति को और विश्वास के अनुसार ये सत्य और सही है ।

स्थान : .... तारीख :	हस्ताक्षरित : .... लेखाकार नाम : .... पता : .... सदस्यता संख्या : ....

टिप्पणियां :

1. * जो लागू न हो उसे काट दें।
2. †यह रिपोर्ट आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा दी जानी है ।
3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा ।

प्ररूप सं. 3कङ का उपाबंध

अनुभाग क

धारा 35घ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

1.	कारबार आरंभ करने की तारीख	....
2.	जहां कटौती का दावा, किसी औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में उपगत व्यय के प्रति निर्देश में किया जाता है, वहां विस्तार पूरा होने की या नई औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन या प्रचालन आरंभ करने की तारीख बताएं।	....
*3.	व्यय की अर्हक रकम :	
	† निम्नलिखित के संबंध में व्यय	
	(i) व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना	.... रुपए
	(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	.... रुपए
	(iii) बाजार का सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करना, जो निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक हो	.... रुपए
	(iv) निर्धारिती के कारबार से संबद्ध इंजीनियरिंग सेवाएं	.... रुपए
	(ख) निर्धारिती के कारबार को स्थापित करने या उसका प्रचालन करने से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किए जाने वाले किसी करार के प्रारूपण के लिए विधिक प्रभार	.... रुपए
	योग	.... रुपए
	क्या प्ररूप 3कच, नियम 6कखखख के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। हां/नहीं	

‡4. परियोजना की लागत, अर्थात्, निम्नलिखित की वास्तविक लागत :

(i) भूमि और भवन (विकास पर किए गए व्यय सहित) .... रुपए

(ii) पट्टा धृतियां .... रुपए

(iii) संयंत्र और मशीनरी .... रुपए

(iv) फर्नीचर और फिटिंग .... रुपए

(v) रेल साइडिंग .... रुपए

योग .... रुपए

5. धारा 35घ के अधीन दावा की गई कटौती .... रुपए

स्थान : ....

तारीख : ....

हस्ताक्षरित : ....

लेखाकार

नाम : ....

पता : ....

सदस्यता संख्या : ....

अनुभाग ख

धारा 35ङ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

1. खनिज (खनिजों) का या सहबद्ध खनिज के समूह (समूहों) का नाम, जिसके (जिनके) संबंध में पूर्वेक्षण या विकास से संबंधित प्रचालन किए गए ....

2. वाणिज्यिक उत्पादन का वर्ष ....

3. व्यय की अर्हक रकम :

वर्ष, जिसमें व्यय उपगत किया गया	व्यय की रकम (ब्यौरे दें) रुपए
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
……..	

स्थान : ....

तारीख : ....

हस्ताक्षरित : ....

लेखाकार

नाम : ....

पता : ....

सदस्यता संख्या : ....

*जहां अर्हक व्यय एक वर्ष से अधिक वर्षों के दौरान उपगत किया गया है, वहां व्यय का वर्षवार ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

† इस शीर्ष के अधीन 1.4.2023 से पूर्व व्यय का दावा केवल तभी किया जाना चाहिए, जब व्यवहार्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करने या इंजीनियरी सेवाओं से जुड़ा कार्य स्वयं निर्धारिती या बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी समुत्थान द्वारा किया गया हो। इस शीर्ष के अधीन 1.4.2023 के पश्चात् व्यय के लिए प्ररूप 3कच भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

‡ ऐसे मामले में, जहां दावा, कारबार के आरंभ से पूर्व उपगत प्रारंभिक व्ययों से संबंधित है, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए। जिन्हें निर्धारिती की बहियों में उस पूर्ववर्ष के, जिसमें कारबार आरंभ किया गया था, अंतिम दिन को यथाविद्यमान रूप में दर्शित किया गया है, ऐसे किसी मामले में, जहां व्यय औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में उपगत किए गए हों, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों (जहां तक ऐसी आस्तियों को औद्योगिक उपक्रम के विस्तार या किसी नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के संबंध में अर्जित या विकसित किया गया था) की वास्तविक लागत दी जानी चाहिए, जिन्हें निर्धारिती की बहियों में उस पूर्ववर्ष के, अंतिम दिन को यथाविद्यमान रूप में दर्शित किया गया है, जिसमें औद्योगिक उपक्रम के विस्तार पूरा किया गया था या नई औद्योगिक इकाई ने उत्पादन या प्रचालन आरंभ किया था।]